राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

विषय :– पंचायती राज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किए जाने के संबंध में।

बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 230 की अनुपालना में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत पंचायती राज कार्यालयों व ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों के पंचायती राज कार्मिकों के कोषालयों के माध्यम से वेतन बिलों के आहरण हेतु नवीन प्रकिया दिनांक 01.11.2016 से अक्टूबर देय नवम्बर 2016 माह के वेतन बिलों के साथ आरम्भ की जानी हैं। नवीन प्रकिया के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है:–

1. नवीन प्रकिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु विभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर पर नोडल अधिकारियों/हेल्प डेस्क का गठन किया जावें। जिनके द्वारा जिला/ब्लॉक स्तर पर तकनीकी व अन्य समस्याओं को निराकरण किया जाये। इस हेतु नामित अधिकारियों की सूची निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग को उपलब्ध कराई जावें ताकि उक्त सूची सिस्टम पर अपलोड की जा सकें।
2. नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत सिस्टम पर वेतन बिल बनाये जाने हेतु वेतन मद में पी.डी. खातें में उपलब्ध राशि से ही बजट नियंत्रण करते हुए वेतन बिल बनाने का प्रावधान किया गया हैं। अतः पंचायती राज संस्थाओं/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के पी.डी.खाता संचालक/प्रशासक दिनांक 25.10.2016 से पूर्व पी.डी.खातें से अवशेष संबंधित कोषालय/उपकोषालय से मिलान कर प्रमाणित कराया जाये।
3. सिस्टम पर कार्मिकों का मास्टर डाटा संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं कार्मिकों के सेवा अभिलेख से सत्यापित कर एवं पी.डी.खाता संचालक के स्तर से शुद्धता सुनिश्चित करते हुए इन्द्राज किया जाएगा।
4. नवीन व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में **दिनांक** 19.09.2016 से 07.10.2016 तक आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित कर निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को अनिवार्य रूप से अवगत करवाया जाये। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न : 1. परिपत्र
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम

9/9/16
(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग

Urgent

अ.शा. टीप संख्या : एफ.5(थ–75)कोष/आईएफएमएस/पीआरआई/7399–7400
दिनांक : 14/09/2016

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को लिखवाकर निवेदन है कि संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के 2 कार्मिक (कैशियर/बिल लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर) को भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।

(Budget)

7401-7403
14/09/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक/वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.)